न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 77 / 2022

उनवान

राजेन्द्र कुमार आत्मज ब्रह्मानंद जाति ब्रहाम्ण निवासी पोलाई कलां हाल निवासी मकान नम्बर 616 केशोपुरा सेक्टर –7 कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

1. लेखराज आत्मज रामकुंवार जाति मेंहर
2. भवानीशंकर पुत्र रामकुंवार जाति मेहर
3. बद्रीबाई पुत्री रामकुंवार जाति मेहर
4. कौशल्या बाई पुत्री रामकुंवार जाति मेंहर निवासीगण ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री धीरेन्द्र मालव (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट कम 1से 4 तक)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.10.2022 न्यायालय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 1/2022 बउनवान लेखराज बनाम राजेन्द्र

निर्णय दिनांक :23.05.2024

अपील के संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद मे लेखराज आत्मज रामकुवार प्रार्थी अपीलाण्ट ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद द्वारा निर्णय दिनांक 10.10.2022 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी राजेन्द्र पुत्र ब्रह्मानंद रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधि...

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 19.10.2022 को पेश की गई। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट न0 1,2,3,4, की ओर से श्री धीरेन्द्र मालव एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) स्वीकार कर लिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पोलाई कलां स्थित खसरा नम्बर 143/746 रकबा 0.08 हैक्टर,खसरा नम्बर 151 रकबा 0.19 हैक्टर रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 151 की आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलाण्ट अपने पिता ब्रह्मानंद आत्मज गोपाल के दर्ज नाम वाली आराजी बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 140 रकबा 3.53 हैक्टर ख0न0 141 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 150 रकबा 0.26 हैक्टर कुल तीन किता की 3.99 हैक्टर आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं उसके भाई के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 151 की आराजी से कभी कोई संबध नहीं रहा अपीलाण्ट द्वारा अपनी आराजी पर तारबन्दी कर रखी है उक्त तारबन्दी वाली आराजी पर ही अपीलाण्ट का काफी समय से कब्जा काश्त है। इस प्रकार अपीलाण्ट के कब्जा काश्त वाली आरजी से रेस्पोडेन्ट का कोई संबध नहीं होने के बावजूद भी अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलाण्ट का कब्जा खसरा नम्बर 151 की भूमि पर काफी समय से चला आ रहा है उक्त कब्जा सहमति का होने से माननीय अधीनस्थ न्यायालय को धारा 183 के अन्तर्गत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है उक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य प्रकट कर देने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बना कर अपीलाण्ट को ख0न0 151 की भूमि पर अतिक्रमी होना मानकर बेदखल कर दिया, एवं इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी गिरदावर के पद पर कार्यरत है। जिनको तहसीलदार दीगोद के पद के दाशित्वो का पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के उपरान्त भी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहो से अपीलाण्ट द्वारा जिरह की गई उक्त जिरह में स्वंय रेस्पोडेन्ट एवं उसके गवाहो द्वारा अपीलाण्ट का कब्जा अपनी आराजी पर होना स्वीकार किया है व रेस्पोडेन्ट का कब्जा अपनी आराजी में स्वीकार किया है इस प्रकार अपीलाण्ट का तारफेन्सी वाली आराजी पर कब्जा प्रमाणित होने व रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अपीलाण्ट को अतिकमी होना मानकर अपीलाण्ट को बेदखल करने के आदेश प्रदान कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के भाई को पक्षकार नहीं बनाया साथ ही अपीलाण्ट की आराजी से लगवां खसरा नम्बर 147 की आराजी रेस्पोडेन्ट की होना मान लिया जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा ख0न0 147

अति. जिला कलक्टर
कोटा

के संबध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अपीलाण्ट का कब्जा उक्त आराजी पर पीढी दर पीढी चला आ रहा है। कब्जा लेने की मियाद 12 वर्ष की है। मियाद समाप्त हो जाने से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.10.2022 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है धारा 183 बी के अन्तर्गत किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्धारा कब्जा कर लिया तो तहसीलदार के समक्ष उचित कार्यवाही के माध्यम से उसे बेदखल किया जाता है। प्रार्थीगण जाति से मेहर है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है। तथा प्रतिपक्षी को प्रार्थीगण के खाते की आराजी या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्धान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2005(1)आर0आर0टी0 पेज 405 2005(1) आर0आर0टी0 पेज 206प्रस्तुत किये गये जिनको भी ससम्मान अवलोकन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम पोलाईकला के खाता संख्या 175 के ख0न0 151 रकबा 0.19 है भूमि रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्ट की जाति मेहर है। जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है। जिस पर राजेन्द्र कुमार पुत्र ब्रह्मानंद शर्मा जाति ब्रहाम्ण संवर्ण के व्यक्ति द्धारा कब्जा किया है, तहसीलदार दीगोद द्धारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। राजेन्द्र कुमार जो सवर्ण का व्यक्ति होने से तहसीलदार दीगोद द्धारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 10.10.2022 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा